रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06062022-236345
CG-DL-E-06062022-236345

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 397] नई दिल्ली, सोमवार, जून 6, 2022/ज्येष्ठ 16, 1944
No. 397] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 6, 2022/JYAISHTHA 16, 1944

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2022

सा.का.नि. 418(अ).—केंद्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 176 की उप-धारा (2) के खंड (य) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विद्युत (हरित ऊर्जा खुली पहुंच के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा का संवर्धन) नियम, 2022 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं** – (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

   (क) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है;

   (ख) "इकाई" से कैप्टिव उपभोक्ताओं के सिवाय कोई ऐसा उपभोक्ता अभिप्रेत है जिसकी अनुबंधित मांग अथवा स्वीकृत भार 100 किलोवाट या उससे अधिक हैः

   परंतु कैप्टिव उपभोक्ताओं के मामले में कोई भार सीमा नहीं होगी;

   (ग) "विनियामकों का मंच" से अधिनियम की धारा 166 की उप-धारा (2) में यथानिर्दिष्ट मंच अभिप्रेत है।

   (घ) "हरित ऊर्जा" से ऊर्जा जिसमें हाइड्रो और भंडारण (यदि भंडारण नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करता है) या समय-समय पर भारत सरकार द्वारा यथा-अधिसूचित किसी अन्य प्रौद्योगिकी सहित, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से

वैद्युत ऊर्जा अभिप्रेत है और नियम (4) के उप-नियम (2) के खंड (छ) के उपबंध के अनुसार हरित हाइड्रोजन या हरित अमोनिया के उत्पादन सहित जीवाश्म ईंधनों को प्रतिस्थापित करने के लिए हरित ऊर्जा का उपयोग करने वाला कोई तंत्र भी सम्मिलित होगा;

(ङ) "बाध्य इकाई" से नवीकरणीय क्रय बाध्यता की पूर्ति के लिए अधिनियम की धारा 86 की उप-धारा (1) के खंड (ङ) के अधीन अधिदेशित इकाईयां अभिप्रेत हैं, जिनमें वितरण अनुज्ञप्तिधारी, कैप्टिव उपयोगकर्ता और खुली पहुंच उपभोक्ता सम्मिलित हैं।

(2) यहां प्रयोग किए गए और परिभाषित नहीं किए गए लेकिन अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ वही होगा जो अधिनियम में क्रमशः उनका है।

3. लागू होना - यह नियम अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्र से ऊर्जा सहित, नियम 2 के खंड (ग) के अधीन यथा-परिभाषित हरित ऊर्जा के उत्पादन, खरीद और उपभोग के लिए प्रयोग होगा।

4. **नवीकरणीय क्रय बाध्यता** – (1) इन नियमों के लागू होने की तारीख से ही, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्र में सभी बाध्य इकाईयों के संबंध में, एकसमान नवीकरणीय क्रय बाध्यता होगी।

(2) कोई इकाई, चाहे वह बाध्य हो या नहीं, निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक पद्धति से अपनी अपेक्षानुसार नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन, खरीद और उपभोग का चयन कर सकेगीः

(क) नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से स्वयं का उत्पादन:- अपने स्वयं के उपभोग के लिए, इकाईयों द्वारा, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत संयंत्रों की संस्थापना के लिए कोई क्षमता सीमा नहीं होगी और ऐसे संयंत्र भारत में किसी भी स्थान पर स्थापित किए जा सकेंगे और खुली पहुंच का प्रयोग कर विद्युत का पारेषण किया जाएगाः

परंतु उत्पादन संयंत्र की स्थापना स्वयं इकाई द्वारा अथवा किसी ऐसे विकासकर्ता द्वारा की जा सकेगी जिसके साथ कंपनी ने विद्युत क्रय करार किया हो।

(ख) किसी विकासकर्ता से खुली पहुंच के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा की या तो सीधे या व्यापार अनुज्ञप्तिधारी के माध्यम से या विद्युत बाजारों के माध्यम से खरीद द्वारा।

स्पष्टीकरण: (1) विकासकर्ता से वह उत्पादन कंपनी अभिप्रेत है जो ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत ऊर्जा उत्पादित करती है।

(2) वितरण अनुज्ञप्ति से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे समुचित आयोग द्वारा विद्युत के पुनर्विक्रय के लिए खरीद हेतु अनुज्ञप्ति दिया गया है।

(ग) वितरण अनुज्ञप्तिधारी से अध्यपेक्षा द्वारा – (क) कोई इकाई या तो उपभोग के एक निश्चित प्रतिशत या अपने संपूर्ण उपभोग तक हरित ऊर्जा खरीदने का विकल्प चुन सकेगी और वे इसके लिए अपने वितरण अनुज्ञप्तिधारी से अध्यपेक्षा कर सकेंगे, जो हरित ऊर्जा की ऐसी मात्रा उपाप्त करेगा और इसकी आपूर्ति करेगा और इसलिए उपभोक्ता के पास सौर एवं गैर-सौर के लिए अलग-अलग अध्यपेक्षा देने का लचीलापन होगा।

(ख) उपभोक्ता स्वैच्छिक आधार पर अपनी बाध्यता से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद कर सकेगा और कार्यान्वयन में सुविधा के लिए, यह पच्चीस प्रतिशत के चरणों में हो सकेगी और शत-प्रतिशत तक जा सकेगी;

(ग) हरित ऊर्जा के लिए टैरिफ समुचित आयोग द्वारा पृथक रूप से अवधारित किया जाएगा, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा की औसत पूलबद्ध विद्युत क्रय लागत, क्रॉस-सब्सिडी प्रभार, यदि कोई हो, और हरित ऊर्जा प्रदान करने के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी की विवेकपूर्ण लागत को कवर करने वाले सेवा प्रभार सम्मिलित होंगे।

(घ) वितरण अनुज्ञप्तिधारी से हरित ऊर्जा के लिए कोई अध्यपेक्षा न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के लिए होगी।

(ङ) हरित ऊर्जा की मात्रा कम से कम एक वर्ष के लिए पूर्व-निर्दिष्ट की जाएगी।

(च) वितरण अनुज्ञप्तिधारी अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी के अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बाध्य इकाई के नवीकरणीय क्रय दायित्व से अधिक खरीदी गई हरित ऊर्जा की गणना वितरण अनुज्ञप्तिधारी के नवीकरणीय क्रय दायित्व के अनुसार की जाएगी।

(छ) वितरण अनुज्ञप्तिधारी स्तर पर आपूर्ति की गई नवीकरणीय ऊर्जा का लेखांकन मासिक आधार पर होगा।

(घ) कैप्टिव विद्युत संयंत्र से हरित ऊर्जा के उपभोग द्वारा।

(ङ) लागू विनियमों के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों की खरीद द्वारा।

(च) हरित हाइड्रोजन या हरित अमोनिया की खरीद; "बाध्य इकाई हरित हाइड्रोजन या हरित अमोनिया के क्रय द्वारा भी अपने नवीकरणीय क्रय दायित्व को पूरा कर सकती है और ऐसी हरित हाइड्रोजन या हरित अमोनिया की मात्रा की गणना नवीकरणीय स्रोतों से एक मेगावाट प्रति घंटा विद्युत या इसके गुणकों से उत्पादित हरित हाइड्रोजन या हरित अमोनिया की समतुल्यता पर विचार करते हुए की जाएगी तथा इस संबंध में मानदंड केंद्रीय आयोग द्वारा अधिसूचित किए जाएंगे।

(छ) केंद्रीय सरकार द्वारा यथाअवधारित, कोई अन्य स्रोत, यदि कोई हों।

5. **हरित ऊर्जा खुली पहुंच-** (1) हरित ऊर्जा के उपभोक्ताओं को हरित ऊर्जा की खुली पहुंच प्रदान करने के लिए, समुचित आयोग, यदि आवश्यक हो, अपने द्वारा बनाए गए संगत विनियमों में संशोधन कर सकेगा और ऐसे विनियम इन नियमों के अनुरूप होंगे।

(2) इस संबंध में हरित ऊर्जा की खुली पहुंच के लिए नोडल अभिकरण द्वारा पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर सभी आवेदनों को अनुज्ञा दी जाएगी:

परंतु केवल वे उपभोक्ता जो हरित ऊर्जा खुली पहुंच के माध्यम से विद्युत लेने के पात्र होंगे जिनके पास सौ किलोवाट और उससे अधिक की अनुबंधित मांग अथवा स्वीकृत भार है तथा हरित ऊर्जा खुली पहुंच के अंतर्गत विद्युत लेने वाले कैप्टिव उपभोक्ताओं के लिए विद्युत की आपूर्ति की कोई सीमा नहीं होगी।

परंतु यह और कि टाइम ब्लॉकों की न्यूनतम संख्या, जो बारह टाइम ब्लॉकों से अधिक नहीं होगी, जैसी यथोचित शर्तें अधिरोपित की जा सकें, जिसके लिए उपभोक्ता खुली पहुंच के माध्यम से खपत की गई विद्युत की मात्रा में परिवर्तन नहीं करेगा, ताकि वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पूरी की जाने वाली मांग में अधिक उतार-चढ़ाव से बचा जा सके।

6. **नोडल अभिकरण** – (1) केंद्रीय सरकार द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा के लिए सिंगल विंडो हरित ऊर्जा खुली पहुंच प्रणाली की स्थापना और प्रचालन के लिए एक केंद्रीय नोडल अभिकरण को अधिसूचित किया जाएगा।

(2) केंद्रीय नोडल अभिकरण सभी हरित ऊर्जा खुली पहुंच वाले उपभोक्ताओं के लिए एक केंद्रीकृत रजिस्ट्री स्थापित करेगा और हरित ऊर्जा खुली पहुंच से संबंधित सभी आवेदन केंद्रीय नोडल अभिकरण द्वारा स्थापित पोर्टल पर प्रस्तुत किए जाएंगे और ये आवेदन हरित ऊर्जा खुली पहुंच की स्वीकृति के लिए समुचित आयोग द्वारा अधिसूचित संबंधित नोडल अभिकरण को भेजे जाएंगे।

(3) समुचित आयोग, अल्पावधि के लिए हरित ऊर्जा खुली पहुंच प्रदान करने के लिए उपयुक्त भार प्रेषण केंद्र को, नोडल अभिकरण के रूप में, और समुचित आयोग द्वारा परिभाषित किए जाने वाले, मध्यम और दीर्घावधि के लिए हरित ऊर्जा खुली पहुंच प्रदान करने के लिए, यथास्थिति, राज्य या केंद्रीय पारेषण यूटिलिटी, को नोडल अभिकरण के रूप में अधिसूचित करेगा।

(4) नोडल अभिकरण केंद्रीय नोडल अभिकरण के पोर्टल पर जनता के लिए हरित ऊर्जा खुली पहुंच के संबंध में सभी प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध कराएंगे।

7. **हरित ऊर्जा खुली पहुंच प्रदान करने की प्रक्रिया -** (1) केंद्रीय नोडल अभिकरण, इन नियमों के प्रारंभ होने के साठ दिनों की अवधि के भीतर, हरित ऊर्जा खुली पहुंच के लिए विनियामक मंच के परामर्श से एक सामान्य आवेदन प्रारूप तैयार करेगा तथा इस प्रारूप में हरित ऊर्जा खुली पहुंच के लिए आवेदन किए जाएंगे।

(2) हरित ऊर्जा खुली पहुंच के लिए, पूर्ण रूप से भरे हुए सभी आवेदन, केन्द्रीय नोडल अभिकरण द्वारा स्थापित पोर्टल पर प्रस्तुत किए जाएंगे।

(3) संबंधित नोडल अभिकरण, लिखित में एक आदेश द्वारा, पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर हरित ऊर्जा खुली पहुँच के लिए आवेदनों को अनुमोदित करेगी, जिसमें विफल रहने पर इसे समुचित आयोग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट तकनीकी अपेक्षाओं की पूर्ति के अधीन अनुमोदित समझा जाएगा।

परंतु हरित ऊर्जा खुली पहुंच के लिए ऐसे आवेदनों को प्रक्रियागत करने का क्रम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अनुसार होगा।

(4) अल्प अवधि और मध्य अवधि खुली पहुंच की अनुज्ञा तब दी जाएगी, जब पारेषण प्रणाली में किसी अभिवृद्धि के बिना पर्याप्त अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध हो, जबकि दीर्घावधिक खुली पहुंच के लिए पारेषण प्रणाली में, यदि अपेक्षित हो, अभिवृद्धि की जा सके।

परंतु यदि अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध हो तो, विद्यमान प्रणाली में दीर्घावधि को प्राथमिकता दी जाएगी और इसके अतिरिक्त, गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों के लिए खुली पहुंच को जीवाश्म ईंधन से खुली पहुंच पर प्राथमिकता दी जाएगी।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "जीवाश्म ईंधन" अभिव्यक्ति में ईंधन जैसे कोयला, लिग्नाइट, गैस, तरल ईंधन या इनके संयोजन ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत के रूप में सम्मिलित हैं, जिनका उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए ताप विद्युत स्टेशन में किया जाता है।

(5) खुली पहुँच के लिए किसी भी आवेदन को तब तक अस्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को मामले में सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है और खुली पहुँच से इनकार करने वाले सभी आदेश सकारण आदेश होंगे।

(6) संबंधित नोडल अभिकरण के आदेश के विरुद्ध सभी अपीलें, नियम 7 के उप-नियम (4) के अधीन आदेश प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, समुचित आयोग के समक्ष होंगी।

(7) समुचित आयोग तीन महीने की अवधि के भीतर अपील का निपटारा करेगा और उसके द्वारा जारी आदेश, पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होगा।

8. **बैंकिंग –** (1) बैंकिंग द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को अतिरिक्त लागत, यदि कोई हो, की प्रतिपूर्ति के लिए प्रभारों के भुगतान पर मासिक आधार पर बैंकिंग की अनुमति दी जा सकेगी और समुचित आयोग लागू प्रभार नियत करेगा।

(2) हरित ऊर्जा खुली पहुंच उपभोक्ताओं द्वारा एकत्रित ऊर्जा की अनुमत मात्रा उपभोक्ताओं द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी से विद्युत की कुल मासिक खपत की कम से कम तीस प्रतिशत होगी।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "बैंकिंग" अभिव्यक्ति से ग्रिड में अंतःक्षेपित अधिशेष हरित ऊर्जा अभिप्रेत है और हरित ऊर्जा खुली पहुँच उपभोक्ताओं द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी ऊर्जा में जमा की जाती है और इसे अतिरिक्त लागतों, यदि कोई हो, की क्षतिपूर्ति के लिए प्रभारों के साथ लिया जाएगा:

परंतु एकत्रित ऊर्जा को जमा करने के पश्चात के महीनों में अग्रनीत किए जाने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी और माह के दौरान एकत्रित ऊर्जा के जमा किए जाने को उसी महीने के दौरान समायोजित किया जाएगा।

9. **खुली पहुँच के लिए वसूला जाने वाला प्रभार - (1)** हरित ऊर्जा खुली पहुँच उपभोक्ताओं पर लगाया जाने वाला प्रभार निम्नानुसार होगा: -

(क) पारेषण प्रभार;

(ख) व्हीलिंग प्रभार;

(ग) क्रॉस सब्सिडी प्रभार;

(घ) आपातोपयोगी प्रभार जहां भी लागू हो; और

(ङ) उपर्युक्त प्रभार के अलावा, कोई अन्य प्रभार, वसूला नहीं जाएगा।

(2) क्रॉस सब्सिडी अधिभार अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित टैरिफ नीति के उपबंधों के अनुसार होगाः

परंतु नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग करते हुए उत्पादन संयंत्र से, हरित ऊर्जा खरीदने वाले हरित ऊर्जा खुली पहुंच उपभोक्ता के लिए क्रॉस अधिभार, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग करने वाले उत्पादन संयंत्र के प्रचालनीकरण की तारीख से बारह वर्षो के दौरान खुली पहुंच प्रदान करने के वर्ष के लिए नियत अधिभार के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा।

परंतु यह और कि यदि ऐसे उपभोक्ता द्वारा नियत प्रभारों का भुगतान किया जा रहा है, तो हरित ऊर्जा खुली पहुंच उपभोक्ताओं के लिए अतिरिक्त अधिभार लागू नहीं होगा।

परंतु यह भी कि खुली पहुंच उपभोक्ता को अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्र से उत्पादित विद्युत की आपूर्ति किए जाने की स्थिति में क्रॉस सब्सिडी अधिभार और अतिरिक्त अधिभार लागू नहीं होंगे।

परंतु यह भी कि यदि हरित ऊर्जा का उपयोग हरित हाइड्रोजन तथा हरित अमोनिया के उत्पादन के लिए किया जाता है तो क्रॉस सब्सिडी अधिभार और अतिरिक्त अधिभार लागू नहीं होंगे।

(3) किसी उपभोक्ता द्वारा संदेय क्रॉस सब्सिडी अधिभार ऐसा होगा जो वितरण अनुज्ञप्तिधारी की आपूर्ति के क्षेत्र में क्रॉस सब्सिडी के वर्तमान स्तर को पूरा करे।

(4) आपातोपयोगी प्रभार, जहां भी लागू हो तो, राज्य आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा और यदि हरित ऊर्जा खुली पहुंच उपभोक्ताओं ने वितरण अनुज्ञप्तिधारी को आपातोपयोगी व्यवस्था के लिए, विद्युत के परिदान के समय से कम से कम चौबीस घंटे पहले अग्रिम रूप से, नोटिस दिया है, तो ऐसे कोई प्रभार लागू नहीं होंगे।

परंतु लागू आपातोपयोगी प्रभार उपभोक्ता टैरिफ प्रवर्ग के लिए लागू ऊर्जा प्रभारों के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजनों के लिए, (i) "आपातोपयोगी प्रभार" अभिव्यक्ति से वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दी गई आपातोपयोगी व्यवस्था की तुलना में खुली पहुँच उपभोक्ताओं पर लागू प्रभार अभिप्रेत हैं, यदि खुली पहुँच उपभोक्ता उत्पादन स्रोतों से विद्युत उपाप्त करने में असमर्थ हैं, जिन स्रोतों के साथ उत्पादक, पारेषण परिसंपत्तियों और इसी तरह की अन्य कटौतियों के कारण विद्युत उपाप्त करने के लिए उनके करार हैं।

(ii) यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी स्थितियों में खुली पहुँच उपभोक्ता को वितरण अनुज्ञप्तिधारी जैसे वैकल्पिक स्रोतों से विद्युत लेनी पड़ती है और ऐसे उपभोक्ताओं के लिए इन सहायक सेवाओं को प्रदान करने के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आपातोपयोगी व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपगत लागत को दर्शाना चाहिए।

10. हरित प्रमाण-पत्र - वितरण अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ताओं के नवीकरणीय क्रय आक्षेप से परे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को उसके अनुरोध पर आपूर्ति की जाने वाली हरित ऊर्जा के लिए उपभोक्ताओं को वार्षिक आधार पर हरित प्रमाण पत्र देगा।

11. रेटिंग - राज्य आयोग, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के उपभोक्ता की रेटिंग की अवधारणा को, ऐसे उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई हरित ऊर्जा के प्रतिशत के आधार पर, प्रस्तुत कर सकेगा।

12. कार्यपद्धति संबंधी मॉडल विनियम – (1) समस्त खुली पहुंच प्रभारों की गणना हेतु एक सामान्य कार्यपद्धति के लिए, विनियामक मंच इन नियमों के आरंभ होने की तारीख से चार माह की अवधि के भीतर खुली पहुंच प्रभार, साथ ही बैंकिंग प्रभार की गणना की कार्यपद्धति के संबंध में एक मॉडल विनियम तैयार करेगा।

(2) विनियामक मंच के उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट कार्यपद्धति का विरचन यह सुनिश्चित करेगा कि विभिन्न अनुमेय प्रभार कष्टकर न हों और हरित ऊर्जा खुली पहुंच उपभोक्ताओं द्वारा हरित ऊर्जा के उपापन को बढ़ावा देने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी की विवेकपूर्ण लागत की पूर्ति करें।

[फा. सं. 23/09/2021-आर एंड आर]

घनश्याम प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 2022

G.S.R. 418(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (z) of sub-section (2) of section 176 of the Electricity Act, 2003 (Act 36 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.–(1)These rules may be called the Electricity (Promoting Renewable Energy Through Green Energy Open Access) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. – (1) In these rules, unless the context otherwise, requires: -

(a) "Act" means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);

(b) "entity" means any consumer who has contracted demand orsanctioned load of 100 kW or more except for captive consumers:

Provided that in case of captive consumers there shall not be any load limitation;

(c) "forum of regulators" means the forum as referred to in sub-section (2) of section 166 of the Act.

(d) "green energy" means the electrical energy from renewable sources of energyincluding hydro and storage (if the storage uses renewable energy) or any other technology asmay be notified by the Government of Indiafrom time to time andshall also include any mechanism that utilises green energy to replace fossil fuels including production of green hydrogen or green ammonia as perprovision of clause G of sub-rule(2) of rule 4;

(e) "obligated entity" means the entities mandated under clause (e) of sub-section(1) of section86 of theAct to fulfill Renewable Purchase Obligation, which includes distribution licensee, captive user, andopen access consumer.

(2) The words and expressions used and not defined herein but defined in the Act shall have the meaningsrespectively assigned to them in the Act.

3. Applicability.– This rules shall be applicable forgeneration, purchase and consumption of green energy as defined under clause (c) of rule 2,including the energy from Waste-to-Energy plant.

4. Renewable Purchase Obligation.– (1) On and from the date of commencement of these rules,there shall be an uniform renewable purchase obligation, on all obligated entities in area of a distribution licensee.

(2) Any entity, whether obligated or not may elect to generate, purchase and consume renewable energy as per their requirements by one or more of the following methods:-

(A) Own Generation from renewable energy sources**.**–There shall not be any capacity limit for installation of power plants from renewable energy sources, by entitiesfor their own consumption and such plants may be set up at any location in India and power shall be transmitted by usingopenaccess:

Provided that the generating plant may be set up by the entity itself or by a developer with which the entity enters into a power purchase agreement.

(B) By procuring Renewable Energy through Open Access from any Developer either directly or through a trading licensee or through power markets.

Explanation: (1) Developer means the generating company who generate electrical energy from renewable sources of energy.

(2) Trading Licenseemeans a person who has been granted a licence by appropriate commission, for purchase of electricity for resale thereof.

(C) By requisition from distribution licensee**.**–(a) Any entity may elect to purchasegreen energy eitherupto a certain percentage of the consumption or its entire consumption and they may place a requisition for this with their distribution licensee, which shall procure such quantity of green

energy and supply it and the consumer shall have the flexibility to give separate requisition for solar andnon-solar;

(b) The consumer may purchase on a voluntary basis, more renewable energy, than he is obligated to do and for ease of implementation, this may be in steps of Twenty five per cent and going upto Hundred per cent;

(c) The tariff for the green energy shall be determined separatelyby the Appropriate Commission, which shall comprise of the average pooled power purchase cost of the renewable energy, cross-subsidy charges if any, and service chargescovering theprudent cost of the distribution licensee for providing the green energy;

(d) Any requisition for green energy from a distribution licensee shall be for a minimum period of one year;

(e) The quantum of green energy shall be pre-specified for at least one year;

(f) The green energy purchased from distribution licensee or from Renewable Energy sources other than distribution licensee in excess of Renewable Purchase Obligation of obligated entity shall be counted towards Renewable Purchase Obligation compliance of the distribution licensee;

(g) The Accounting of renewable energy supplied at distribution licensee level shall be on a monthly basis;

(D) By consuming green energy from captive power plant.

(E) By purchasing of renewable energy certificates in accordance with the applicable regulations.

(F) Purchase of green hydrogen or green ammonia; "the obligated entity can also meet their Renewable Purchase Obligation by purchasing green hydrogen or green ammonia and the quantum of such green hydrogen or green ammonia would be computed by considering the equivalence to the green hydrogenor green ammonia produced from one MWh of electricity from the renewable sources or its multiples and norms in this regard shall be notified by the Central Commission.

(G) Any other sources, as may be, determinedby the Central Government.

5. Green Energy Open Access.– (1) To provide Green Energy Open Access to consumers of green energy, the appropriate Commission may, if necessary, amend the relevant regulations made by it and such regulations shall be consistent with these rules.

(2) All applications for open access of green energy in this regard shall be allowed by the nodal agency within a period of fifteen days:

Provided that only consumers who have contracted demand or sanctioned load of hundred kW and above shall be eligible to take power through Green Energy Open Access and there shall be no limit of supply of power for the captive consumers taking power under Green Energy Open Access:

Provided further that reasonable conditions such as the minimum number of time blocks, which shall not be more than twelve time blocks, for which the consumer shall not change the quantum of power consumed through open access may be imposed so as to avoid high variation in demand to be met by the distribution licensee.

6. Nodal Agency.– (1) A Central Nodal Agency shall be notified by the Central Government to set up and operate a single window green energy open access system for renewable energy.

(2) The Central Nodal agency shall set up a centralised registry for all Green Energy Open Access consumers and all the applications related to green energy open access shall be submitted on the portal set up by the said the Central Nodal Agency and these applications shallget routed to the concerned nodal agency notified by the Appropriate Commission for grant of green energy open access.

(3) The Appropriate Commission shall notify the appropriate Load Despatch Centre as the nodal agency for grant of green energy open access for short term, to be defined by the Appropriate Commission,andthe State or Central Transmission Utility, as the case may be, as the nodal agency for grant of Green Energy Open Access, for medium and long term.

(4) The nodal agencies shall make available all relevant information regarding green energy open access to the public on the portal of the Central Nodal Agency.

7. **Procedure for grant of Green Energy Open Access.**– (1) The Central Nodal Agency shall prepare, within a period of sixty days of commencement of these rules, a common application format for the Green Energy Open Access in consultation with the Forum of Regulators and applications for the Green Energy Open Access shall be made in this format.

(2) All the applications for the Green Energy Open Access complete in all respects, shall be submitted on the portal set up by the Central Nodal Agency.

(3) The concerned nodal agency shall, by an order in writing, approve the applications for the Green Energy Open Access within a period of fifteen days, failing which it shall be deemed to have been approved subject to the fulfillment of the technical requirements as specified by the appropriate Commission:

Provided that the order of processing of such applications for Green Energy Open Access shall be first in first out.

(4) The Short term and medium term open access shall be allowed, if there is sufficient spare capacity available in the transmission system without any augmentation whereas for long term open access, the transmission system may be augmented if required:

Provided that priority shall be given to long term in the existing system if spare capacity is available and further, open access for non-fossil fuel sources shall be given priority over the open access from the fossil fuel.

Explanation: For the purposes of this rule, the expression "Fossil Fuel"includes the fuels such as coal, lignite, gas, liquid fuel or combination of these as its primary source of energy, which are used in Thermal Generating Station for generating electricity.

(5) No application for open access shall be denied unless the applicant has been given an opportunity of being heard in the matter and all orders denying open access shall be speaking orders.

(6) Appeals against an order of the concerned nodal agency, shall lie beforethe Appropriate Commission, within a period of thirty days from the date of receipt of order under sub-rule (4) of rule 7.

(7) The Appropriate Commission shall dispose the appeal within a period of three months and the order issued by it, shall be binding on the parties.

8. **Banking.**– (1) Banking shall be permitted at least on a monthly basis on payment of charges to compensate additional costs, if any, to the distribution licensee by the Banking and the Appropriate Commission shall fix the applicable charges.

(2) The permitted quantum of banked energy by the Green Energy Open Access consumers shall be at least thirty percent of the total monthly consumption of electricity from the distribution licensee by the consumers.

Explanation: For the purposes of this rule, the expression"Banking" means the surplus greenenergy injected in the grid and credited with the distribution licensee energy by the Green Energy Open Access consumers and that shall be drawn along with charges to compensate additional costs if any:

Provided that the credit for banked energy shall not be permitted to be carried forward to subsequent months and the credit of energy banked during the month shall be adjusted during the same month.

9. **Charges to be levied for Open Access.**– (1) The charges to be levied on Green Energy Open Access consumers shall be as follows:-

(a) Transmission charges;

(b) Wheeling charges;

(c) Cross subsidy Surcharge;

(d) Standby charges wherever applicable; and

(e) No other charges except the charges above, shall be levied.

(2) The Cross subsidy surcharge shall be as per the provisions of tariff policy notified by the Central Government under the Act :

Provided that the cross subsidy surcharge for Green Energy Open Access Consumer purchasing green energy, from a generating plant using renewable energy sources, shall not be increased, during twelve years from the date of operating of the generating plant using renewable energy sources, by more than fifty percent of the surcharge fixed for the year in which open access is granted;

Provided further thatthe additional surcharge shall not be applicable for Green Energy Open Access Consumers,if fixed charges are being paid by such a consumer:

Provided also that cross subsidy surcharge and additional surcharge shall not be applicable in case power produced from a Waste-to-Energy plant is supplied to the Open Access Consumer.

Provided also that Cross subsidy surcharge and additional surcharge shall not be applicable if green energy is utilized for production of green hydrogen and green ammonia.(3) The cross subsidy surcharge payable by a consumer shall be such as to meet the current level of cross subsidy within the area of supply of the distribution licensee.

(4) The standby charges, wherever applicable, shall be specified by the State Commission and suchcharges shall not be applicable if the Green Energy Open Access Consumers have givennotice, in advance at least twenty four hours before the time of delivery of power, for standby arrangement to the distribution licensee:

Provided that the applicable standby charges shall not be more than Ten per cent of the energy charges applicable to consumer tariff category.

Explanation: For the purposes of this rule, (i) the expression “standby charges” means the charges applicable to open access consumers against the standby arrangement provided by the distribution licensee, in case the open access consumer is unable to procure power from the generating sources with whom they have the agreements to procure power due to outages of generator, transmission assets and the like.

(ii) It is hereby clarified that in such situations the open access consumer has to take power from an alternate sources like the distribution licensee and the charges for maintaining standby arrangements for such consumers should be reflective of the costs incurred by distribution licensee for providing these support services.

10. **Green certificate.**–The distribution licensee shall give green certificate on yearly basis to the consumers for the green energy supplied by the licensee to consumer on his request beyond the renewable purchase obligation of the consumers.

11. **Rating.**–The State Commission may introduce the concept of rating of the consumer of the distribution licensee, based on the percentof green energy purchased by such consumer.

12. **Model regulation on methodology.**– (1) In order to have acommon methodology for calculation of all the open access charges, theforum of regulators shall prepare a model regulations on methodology for calculation of open access charges, as well as banking charges within a period of four months from the date of commencement of these rules.

(2) The framing of methodology referred to in sub-rule (1), of the forum of regulators shall ensure that various permissible charges are not beonerous and shall meet the prudent cost of the distribution licensee in order to fulfil the objective of promoting the procurement of green energy by Green Energy Open Access Consumers.

[F. No. 23/09/2021-R&R]

GHANSHYAM PRASAD, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2022.06.06 21:32:23 +05'30'